

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०:- ५०२६८० ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- २१/१२/१८
ग्रा०वि०-३/स्था०-१-३७/१८

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ५६वीं से ५९वीं सम्मिलित संयुक्त परीक्षा के आधार पर बिहार शिक्षा सेवा के पद पर प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-२०९६ दिनांक २३.११.१८ द्वारा श्री सुजीत कुमार राउत की बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) मूल कोटि के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-९ एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अन्य दैनिक भत्तों के साथ औपबधिक रूप से परिवीक्षा पर नियुक्ति की गयी है।

उक्त नियुक्ति के आलोक में श्री सुजीत कुमार राउत, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुटौना (मधुबनी) द्वारा बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) मूल कोटि के पद पर योगदान करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग से सेवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को वापस करने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री राउत से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए श्री सुजीत कुमार राउत (अनुक्रमांक-२४५१७१), ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुटौना (मधुबनी) को बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) मूल कोटि के पद पर योगदान करने हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ विरमित किया जाता है :-

- (i) ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में बितायी गयी अवधि कर्तव्य अवधि का वेतनादि का भुगतान देय होगा।
- (ii) बिहार सेवा संहिता के नियम-१५७ के तहत श्री राउत घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है।
- (iii) श्री राउत का विद्यमान पद-ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर गहणाधिकार (Lien) नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधा किशोर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- ५०२६८० दिनांक:- २१/१२/१८

ग्रा०वि०-३/स्था०-१-३७/१८

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 402680

दिनांक:- 21/12/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना /निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना जापांक 2096 दिनांक 23.11.18 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

जापांक:- 402680

दिनांक:- 21/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक:- 402680

दिनांक:- 21/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा /जिला पदाधिकारी, मधुबनी /उप विकास आयुक्त, मधुबनी/ कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक:- 402680

दिनांक:- 21/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- श्री सुजीत कुमार राउत, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुटौना (मधुबनी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि सेवा संहिता के नियम 157 के तहत जिला पदाधिकारी, मधुबनी को घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है ।

जापांक:- 402680

दिनांक:- 21/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव